कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां। इस संबंध में प्रदर्शन की कुछ घटनाएं हुई हैं।

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। ऐसी घटनाएं जब कभी भी होती हैं, इन्हें विचार-विमर्श/सहमति द्वारा जिला प्रशासन और संबद्ध लोगों को अन्तर्ग्रस्त करके निपटाया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा मशीनों की खरीद

*187. **श्री लक्खो राम अग्रवाल** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद ने 1980-81 से 1991-92 के वर्षों के दौरान 1446.76 करोड़ रुपये की मशीनें खरीदी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से 161.49 करोड़ रुपये की मशीनों को अभी तक प्रतिष्ठापित भी नहीं किया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1991-92 में खरीदी गई 140.96 करोड़ रुपये की मशीनों में से 67.89 करोड़ रुपये की मशीनें भारत कोकिंग कोल लि० के गोदामों में अभी भी अप्रयुक्त पड़ी है; और

(घ) क्या पैसे की इस बर्बादी की कोई जांच की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) भारत कोकिंग कोल लि० ने वर्ष 1981 से 1992 की अवधि के दौरान 1072.42 करोड़ रु० की मशीनों की खरीद की है।

(ख) यह बात सत्य नहीं है। सभी बड़े उत्पादन उपकरणों को स्थापित कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार स्टाक के रूप में केवल 13.68 करोड़ रु० की मशीनरी स्टाक की गई थी।

(घ) चूंकि कुछ मशीनों को आवश्यकता पड़ने पर प्रचालन यूनिटों के लिए स्टाक में रखना पड़ा, अत: जांच किए जाने पर प्रश्न ही नहीं उठता है।

Annual Survey on Consumer Expenditure

*188. SHRI SURINDER KUMAR SINGLA:

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the 48th Round of National Sample Survey, (January-December, 1992), Annual Survey on consumer expenditure has been completed;

(b) if so, what are the results thereof;

(c) if not, by when are the results likely to be expected; and

(d) by when the results of 1991 survey are likely to be published?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) Field work for the survey has been completed.

(b) and (c) Tabulation of data is in progress. Results are likely to be ready by March 1994.

(d) Presumably, the question refers to the 47th round survey conducted during July-December 1991. The survey results relating to the enquiry conducted during that round are expected to be released around December 1993.

कोयला कंपनियों के बोर्डों में कर्मकारों का प्रतिनिधित्व

*189. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला कंपनियों के बोर्डों में कर्मकारों का कोई प्रतिनिधि नहीं है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कोयला कंपनी-वार कर्मकारों के प्रतिनिधियों के नाम क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) निम्नलिखित कोयला कंपनियों के निदेशक बोर्ड की संरचना में प्रत्येक कोयला कंपनी में एक श्रमिक प्रतिनिधि को रखे जाने की व्यवस्था है, जिनके संबंध में स्थिति नीचे दर्शायी गई है :—

1. कोल इंडिया लि०
2. भारत कोकिंग कोल लि०
3. सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०
4. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
5. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
6. नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०
7. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० जोकि एक कोयले का उत्पादन करने वाली कंपनी नहीं है, उसके बोर्ड में किसी श्रमिक प्रतिनिधि को रखे जाने की व्यवस्था नहीं है। महानदी कोलफील्ड्स लि० के निदेशक बोर्ड की संरचना को अंतिम रूप दिया जाना है जिसमें श्रमिक प्रतिनिधि के लिए एक स्लाट की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है।

किन्तु, इन निदेशक बोर्ड ने अभी तक कामगारों के किसी प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं किया गया है।

Central Assistance for Construction of Court Buildings and Residential Accommodation

*190. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Planning Commission has agreed in principle to provide 50 per cent Central assistance to States for construction of court buildings and residential accommodation;

(b) whether it is also a fact that a proposal submitted in this regard by the State Government of Maharashtra has been forwarded by the Union Ministry of Law, Justice and Company Affairs to the Planning Commission for approval; and

(c) if so, by when the necessary approval is likely to be accorded?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) The Department of Justice had forwarded a proposal for a Centrally Sponsored Scheme for infrastructural facilities for judiciary. The coverage under the scheme will be limited to construction of buildings, both official and residential, covering High Court and District Courts. The pattern of sharing will be 50:50 between the Centre and the States. The scheme has been approved in principle by the full Planning Commission at its meeting held on 23-7-1993.